03/9/25

पत्रावली वास्ते लिखित पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना
प्रार्थी अस्वीकार किया गया है। विस्तृत लिखित आदेश
किया जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2025/448

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.03 17:28:54 IST
Reason: SelfAttested

फद अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

रूप सिंह बनाम जगदीश चन्द्र रिणवां आदि

मुकदमा 251–क आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः–186/2025

GCMS:- 2025/448

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से चक 2 डी.ओ.–ए के पत्थर नं. 24/2 (50) के किला नं. 1/2 व किला नं. 2 ता 4 में 0.759 हैक्टर व किला नं. 7 ता 9 की 0.579 हैक्टर व 10/1 की 0.228 हैक्टर व 11 ता 14 की 1.012 हैक्टर अ0क0 व 17 ता 24 की 2.024 हैक्टर कुल 4.795 हैक्टर अ0क0 व किला नं. 5/21 मे 0.149 हैक्टर गै0मु0 औद्योगिक व किला नं. 6–15–16–25 की 1.012 हैक्टर गै0मु0 औद्योगिक प्रयोजन इस प्रकार इस खाता में कुल 5.956 हैक्टर अ0क0 व गै0मु0 औद्योगिक प्रयोजन रकबा प्रार्थी के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी सख्या 1–2 के नाम से इसी चक की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता सख्या 129/98 की 4.073 हैक्टर अ0क0 मय खाला दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने खाता रकबा को काश्त करने के लिये पुरी चौड़ाई में यानि कम्बाईन आदि के आने–जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा को काश्त करने के लिये पक्की सड़क बिरधवाल से छत्तरगढ़ सडक से चिपती अप्रार्थी नं. 1–2 के नाम की भूमि वाके चक 2 डीओ–ए के पत्थर न. 24/3 (51) के किला नं. 4/1 व 7 के पूर्वी पासा में 30 फुट चौड़ाई में दक्षिण से उत्तर को प्रार्थी के पत्थर नं. 24/2 के किला नं. 24 की पहुंच तक पहुंच मार्ग ले रखा है। इसी के बदला में अप्रार्थी संख्या 1–2 को प्रतिफल राशि दे रखी है। उक्त रास्ता स्वीकृत ना होने से प्रार्थी को कठिनाई आ सकती है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 1–2 ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित रास्ता में पक्का निर्माण कर कमरे बने हुए है तथा स्पष्ट रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा नही की गई है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रूप सिंह के नाम पत्थर नं. 24/2 तथा 24/10 मे गै0मु0 औद्योगिक तथा कृषि भूमि दर्ज है। प्रार्थी के रकबा को पत्थर नं. 24/10 के किला नं. 5–6–15–16–17–24–25 में गै0मु0 सड़क लगती है। प्रार्थी के रकबा को पहले से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने से नवीन रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन होने तथा पूर्व में प्रार्थी के रकबा को रास्ता उपलब्ध होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.09.03 17:28:54 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	